NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 10-11-2026

विषय सूची

सोशल मीडिया कंपनियों के लिए सुरक्षित आश्रय (सेफ हार्बर) के प्रावधानों की समीक्षा करना आवश्यक

भारत की ब्लू इकोनॉमी को प्रोत्साहन देने के प्रयासों के केंद्र में द्वीपीय मत्स्य पालन

राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस

भारत में विमुद्रीकरण के 10 वर्ष

संक्षिप्त समाचार

- सिद्दी समुदाय
- रानीवास टीला
- भारत और सऊदी अरब द्वारा वर्ष 2027 के लिए द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर
- मुहूर्त ट्रेडिंग
- 'फिजिकल AI'
- न्योमा वायुसेना अड्डा
- वर्ष 2026 अब तक के दर्ज चार सबसे उष्ण वर्षों में से एक होगा: WMO
- बुकर पुरस्कार 2026

सोशल मीडिया कंपनियों के लिए सुरक्षित आश्रय (सेफ हार्बर) के प्रावधानों की समीक्षा करना आवश्यक

संदर्भ

- केंद्र सरकार ने इस बात पर चर्चा शुरू कर दी है कि क्या फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियों को अपने उपयोगकर्ताओं द्वारा पोस्ट की गई सामग्री के लिए कानूनी दायित्व से संरक्षण मिलना जारी रहना चाहिए।

परिचय

- विचाराधीन विषय 'सेफ हार्बर' का सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत सोशल मीडिया कंपनियों को उपयोगकर्ताओं द्वारा तैयार की गई सामग्री को अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के बावजूद उस सामग्री का प्रकाशक नहीं माना जाता है।
- इस बात पर प्रश्न उठाया गया है कि क्या ऐसी कंपनियों को, जो सामग्री की दृश्यता और पहुँच निर्धारित करने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करती हैं, वही कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए जो केवल सूचनाओं का प्रसारण करने वाली सेवाओं को प्राप्त है।
- इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है तथा यह भी स्पष्ट नहीं है कि इन चर्चाओं के परिणामस्वरूप कोई औपचारिक विधायी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा या नहीं।

कानूनी ढाँचा

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A:** यह धारा सरकार को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री तक सार्वजनिक पहुँच को अवरुद्ध करने का अधिकार प्रदान करती है। इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित चिंताएँ तथा अपराध के लिए उकसावे को रोकना शामिल है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 की धारा 79:** यह धारा इंटरनेट मध्यस्थों को तीसरे पक्ष द्वारा प्रकाशित या प्रसारित की गई सूचना से उत्पन्न कानूनी दायित्व के विरुद्ध सशर्त प्रतिरक्षा प्रदान करती है।
 - इसके अंतर्गत कोई मध्यस्थ इस संरक्षण का दावा तभी कर सकता है, जब वह सूचना के प्रसारण की शुरुआत स्वयं न करे, उसके प्राप्तकर्ता का चयन न करे तथा प्रसारित की जाने वाली सूचना का चयन या उसमें संशोधन न करे।
 - यह संरक्षण पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है। निर्धारित परिस्थितियों में मध्यस्थ इस संरक्षण से वंचित हो सकते हैं, जिनमें गैर-कानूनी गतिविधियों में संलिप्तता अथवा विधिसम्मत निर्देशों का पालन करने में विफलता शामिल है।
- **श्रेय सिंघल बनाम भारत संघ निर्णय, 2015:** सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 79(3)(b) के अंतर्गत गैर-कानूनी सामग्री को हटाने का दायित्व न्यायालय के आदेश अथवा सक्षम सरकारी अधिसूचना से संबद्ध होना चाहिए। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संवैधानिक प्रतिबंधों के अनुरूप होना आवश्यक है।

डिजिटल सामग्री का सेंसरशिप

- डिजिटल सामग्री का सेंसरशिप से तात्पर्य सरकारों, संगठनों अथवा अन्य संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन सामग्री को नियंत्रित करने से है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
 - वेबसाइटों और ऐप्स को अवरुद्ध करना।
 - सोशल मीडिया सामग्री को हटाना।
 - OTT (ओवर-द-टॉप) स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का विनियमन।
 - डिजिटल समाचार और पत्रकारिता पर प्रतिबंध लगाना।

भारत में डिजिटल सेंसरशिप को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढाँचा

- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a)):** यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत लगाए गए युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अधीन है। इन प्रतिबंधों में शालीनता, नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित विषय शामिल हैं।
- **सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000:** इसकी धारा 69A सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित चिंताओं के आधार पर ऑनलाइन सामग्री को अवरुद्ध करने की शक्ति प्रदान करती है।
- **मध्यस्थ दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता, 2021:** यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल समाचार माध्यमों को विनियमित करती है।
- **OTT प्लेटफॉर्म द्वारा स्व-विनियमन:** नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म डिजिटल पब्लिशर्स कंटेंट ग्रीवेंस काउंसिल (DPCGC) जैसे स्व-विनियामक ढाँचों का पालन करते हैं।
- **केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC):** इसकी स्थापना सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के अंतर्गत की गई थी। यह भारत में फिल्मों के प्रमाणन एवं सेंसरशिप के लिए उत्तरदायी है।

सेफ हार्बर की समीक्षा की आवश्यकता

- **साइबर अपराधों पर अंकुश लगाना :** डिजिटल मध्यस्थों को अपने प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग के माध्यम से किए जाने वाले साइबर अपराधों, जैसे डिजिटल अरेस्ट घोटाले, वित्तीय धोखाधड़ी और पहचान की चोरी को रोकने के लिए जवाबदेह बनाए जाने की आवश्यकता हो सकती है।

- **पीड़ितों का संरक्षण :** मध्यस्थों की जवाबदेही बढ़ाने से हानिकारक सामग्री के विरुद्ध समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है। साथ ही, ऑनलाइन धोखाधड़ी और अन्य साइबर अपराधों के पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित किए जा सकते हैं।
- **विनियामक जवाबदेही का सुदृढ़ीकरण:** सेफ हार्बर प्रावधानों की समीक्षा यह सुनिश्चित कर सकती है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म भारतीय कानूनों का अनुपालन करें तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करें।

सेफ हार्बर को समाप्त करने से संबंधित चिंताएँ

- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव :** अधिक कानूनी दायित्व के कारण प्लेटफॉर्म कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए सरकार की आलोचना, व्यंग्य तथा विरोध-प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग सहित विवादास्पद सामग्री को भी हटाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।
- **अत्यधिक सेंसरशिप :** दंड अथवा मुकदमेबाजी के जोखिम से बचने के लिए प्लेटफॉर्म आवश्यकता से अधिक सामग्री हटाने का विकल्प अपना सकते हैं।
- **सामान्य उपयोगकर्ताओं पर प्रभाव :** यदि प्लेटफॉर्म प्रत्येक पोस्ट, टिप्पणी और वीडियो के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं, तो व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए ऑनलाइन अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना कठिन हो सकता है।

आगे की राह

- **स्वतंत्र विनियामक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण:** यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सेंसरशिप से संबंधित निर्णयों की समीक्षा न्यायालयों और निष्पक्ष संस्थाओं द्वारा की जाए।
- **सामग्री मॉडरेशन में पारदर्शिता बढ़ाना:** डिजिटल प्लेटफॉर्म को सामग्री हटाने से संबंधित अपनी कार्रवाइयों के बारे में समय-समय पर पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करनी चाहिए।
- **डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहित करना:** कठोर सेंसरशिप लागू करने के बजाय नागरिकों को फेक न्यूज़ और भ्रामक सूचनाओं की पहचान करने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए।
- **नीति निर्माण में सार्वजनिक परामर्श:** डिजिटल सामग्री के विनियमन से संबंधित नीतियों का निर्माण करते समय पत्रकारों, कानूनी विशेषज्ञों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए।

स्रोत: IE

भारत की ब्लू इकोनॉमी को प्रोत्साहन देने के प्रयासों के केंद्र में द्वीपीय मत्स्य पालन

संदर्भ

- केंद्र सरकार भारत की समुद्री मत्स्य संपदा की क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के उद्देश्य से द्वीपीय मत्स्य पालन पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें विशेष रूप से टूना मछली, समुद्री शैवाल और सजावटी मत्स्य पालन की संभावनाओं को विकसित करने पर बल दिया जा रहा है।

भारत के मत्स्य क्षेत्र की संभावनाएँ

- भारत की कुल तटरेखा लगभग 11,098.81 किमी लंबी है, जिसमें से 3,083.50 किमी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा 144.8 किमी लक्षद्वीप के अंतर्गत आती है।
 - देश में मत्स्य पालन का एक व्यापक नेटवर्क है, जिसमें 1,537 मछली उतारने के केंद्र तथा 3,432 मछुआरा गाँव (बस्तियाँ) शामिल हैं।
- भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है तथा वैश्विक मछली उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी लगभग 8 प्रतिशत है।
- नीति आयोग के अनुसार, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र 2.02 मिलियन वर्ग किमी से अधिक विस्तृत है, जिसमें अनुमानित वार्षिक समुद्री मत्स्य उत्पादन क्षमता 7.16 मिलियन टन है।
- वित्त वर्ष 2025-26 में भारत से समुद्री खाद्य उत्पादों का निर्यात ₹73,890 करोड़ से अधिक मूल्य का रहा।

भारत की ब्लू इकोनॉमी के लिए द्वीपीय मत्स्य पालन का महत्त्व

- **अप्रयुक्त समुद्री संसाधन :** दोनों द्वीप समूह मिलकर भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र का लगभग 40% हिस्सा कवर करते हैं। इससे समृद्ध समुद्री मत्स्य क्षेत्रों तथा टूना मछलियों के प्रवास मार्गों तक पहुँच प्राप्त होती है।
- **निर्यात की संभावनाएँ :** टूना जैसी उच्च मूल्य वाली मछली प्रजातियाँ वैश्विक समुद्री खाद्य बाजार में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करती हैं।
- **मत्स्य पालन का विविधीकरण :** समुद्री शैवाल की खेती और सजावटी मत्स्य पालन पारंपरिक मत्स्य दोहन के अतिरिक्त आय के नए अवसर उपलब्ध कराते हैं।
- **रणनीतिक महत्त्व :** अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में इन द्वीपों की अवस्थिति भारत की समुद्री उपस्थिति तथा महासागर आधारित आर्थिक गतिविधियों को सुदृढ़ करती है।

सरकारी पहलें

- **समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA):** यह मत्स्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उन्नयन, बाजार विकास तथा गुणवत्ता प्रमाणन को बढ़ावा देने में सहायता करता है।
- **राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य कार्ययोजना (NMFAP):** इस योजना में मत्स्य संसाधनों के आकलन में सुधार, मत्स्य क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे एवं प्रौद्योगिकी का विस्तार तथा जलीय कृषि के विकास को बढ़ावा देने के उपाय शामिल हैं।
- **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY):** इस योजना को वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक भारत में मत्स्य क्षेत्र के सतत एवं उत्तरदायी विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने के उद्देश्य से लागू किया गया था।
- **अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी नियम, 2025 :** ये नियम भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में गहरे समुद्र तथा अपतटीय मत्स्य पालन के लिए एक औपचारिक कानूनी एवं विनियामक ढाँचा स्थापित करते हैं। यह क्षेत्र 12 से 200 समुद्री मील तक विस्तृत है।



अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह पर विशेष ध्यान

- अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) लगभग 6.6 लाख वर्ग किमी है, जो भारत के कुल समुद्री क्षेत्र का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है।
 - यहाँ एक समर्पित 'टूना क्लस्टर' अधिसूचित किया गया है। इसमें जहाज पर ही मछलियों के प्रसंस्करण एवं हिमशीतन की सुविधाएँ, गहरे समुद्र में टूना मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए लाइसेंस तथा अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा संचालित एकल-खिड़की स्वीकृति प्रणाली शामिल है।
- लक्षद्वीप द्वीप समूह का अनन्य आर्थिक क्षेत्र लगभग 4 लाख वर्ग किमी है, जो भारत के कुल EEZ का लगभग 17% है। इसके अतिरिक्त यहाँ लगभग 4,200 वर्ग किमी का लैगून क्षेत्र भी मौजूद है।
 - लक्षद्वीप को एक समर्पित समुद्री शैवाल क्लस्टर के रूप में अधिसूचित किया गया है।
 - सरकार ने लक्षद्वीप में मध्यम स्तर की सजावटी मछली पालन इकाइयों की स्थापना पर विशेष रणनीतिक ध्यान केंद्रित किया है।

द्वीपीय मत्स्य पालन के विकास में चुनौतियाँ

- **पारिस्थितिक संवेदनशीलता :** प्रवाल भित्तियाँ , लैगून और समुद्री जैव विविधता अत्यधिक मत्स्य दोहन, आवास क्षरण तथा असंधारणीय मत्स्यन गतिविधियों के प्रति संवेदनशील हैं।
- **जलवायु परिवर्तन :** समुद्र के तापमान में वृद्धि, महासागरीय अम्लीकरण तथा प्रवाल विरंजन मछलियों की जनसंख्या और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं।
- **बुनियादी ढाँचे की कमी :** शीत भंडारण, प्रसंस्करण सुविधाओं, परिवहन तथा संपर्क व्यवस्था की सीमित उपलब्धता के कारण कटाई के पश्चात होने वाली हानि में वृद्धि होती है।
- **सीमित तकनीकी क्षमता :** पारंपरिक मछुआरों की आधुनिक मत्स्यन तकनीकों, वैज्ञानिक सूचनाओं तथा संरक्षण एवं भंडारण की उन्नत तकनीकों तक सीमित पहुँच है।
- **बाजार तक पहुँच संबंधी बाधाएँ :** प्रमुख समुद्री खाद्य बाजारों से अधिक दूरी तथा अपर्याप्त निर्यात अवसंरचना द्वीपीय मत्स्य उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को सीमित करती है।

- **अत्यधिक दोहन का जोखिम :** वैज्ञानिक आधार पर मत्स्य भंडार के आकलन के बिना वाणिज्यिक मत्स्यन का विस्तार समुद्री संसाधनों की दीर्घकालिक सततता के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है।

आगे की राह

- कटाई के बाद होने वाली हानि को कम करने तथा निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए आधुनिक मत्स्य बंदरगाहों, शीत श्रृंखला लॉजिस्टिक्स और प्रसंस्करण सुविधाओं में निवेश किया जाना चाहिए।
- पारंपरिक एवं लघु स्तर के मछुआरों को गहरे समुद्र तथा अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में मत्स्यन गतिविधियों में भागीदारी के योग्य बनाने के लिए प्रशिक्षण एवं कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिए।
- समुद्री संसाधनों के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित मत्स्यन पद्धतियाँ अपनाई जानी चाहिए। इसके साथ ही मत्स्य भंडार का नियमित आकलन तथा विनियमित मत्स्यन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

स्रोत: PIB

राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस

संदर्भ

- राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को मनाया जाता है।

परिचय

- कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना 9 नवंबर, 2014 को की गई थी।
- भारत की विकास यात्रा में उद्यमिता के महत्त्व को रेखांकित करने के उद्देश्य से इस दिवस को राष्ट्रीय उद्यमिता दिवस के रूप में मनाया जाता है।

भारत का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र

- भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र है। वर्ष 2014 में स्टार्टअप की संख्या 500 से भी कम थी, जो वर्ष 2026 में बढ़कर 2.62 लाख से अधिक हो गई है।
- **प्रमुख राज्य एवं क्षेत्र :** महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या तथा प्रत्यक्ष रोजगार सृजन के मामले में अग्रणी क्षेत्रों के रूप में उभरे हैं।
- **रोजगार सृजन :** वर्ष 2026 तक स्टार्टअप के माध्यम से 25 लाख से अधिक रोजगारों का सृजन किया जा चुका है।
- **महिला प्रतिनिधित्व :** 1.07 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में कम-से-कम एक महिला निदेशक अथवा भागीदार है। यह कुल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का लगभग 48% है।
- भारत में 120 से अधिक यूनिकॉर्न (Unicorns) हैं, जिनका कुल मूल्यांकन 350 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है।
- **वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2026 की रैंकिंग:** यह सूचकांक विभिन्न प्रदर्शन मानदंडों के आधार पर लगभग 139 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन एवं रैंकिंग करता है।
 - भारत ने अपनी स्थिति में निरंतर सुधार करते हुए वर्ष 2020 में 48वें स्थान से वर्ष 2026 में 38वें स्थान तक की प्रगति की है।

स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की चुनौतियाँ

- **वित्तपोषण संबंधी बाधाएँ एवं पूँजी में अस्थिरता:** भारतीय स्टार्टअप को विशेष रूप से वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान पूँजी की अनियमित उपलब्धता की समस्या का सामना करना पड़ता है।
 - विदेशी वेंचर कैपिटल पर अत्यधिक निर्भरता उन्हें बाहरी आर्थिक आघातों के प्रति संवेदनशील बनाती है।
 - लंबी विकास अवधि के कारण शुरुआती चरण के स्टार्टअप तथा डीप-टेक स्टार्टअप को गंभीर वित्तपोषण संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- **नियामकीय जटिलता एवं नीतिगत अनिश्चितता:** केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न अनुपालन संबंधी प्रावधान, नियामकीय बदलावों की बारंबारता तथा कर संबंधी अस्पष्टताएँ परिचालन लागत बढ़ाती हैं।
 - ये कारक जोखिम लेने की प्रवृत्ति और नवाचार को हतोत्साहित करते हैं।
- **प्रतिभा की कमी एवं कौशल असंगति:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में कुशल पेशेवरों की कमी है।
- **बुनियादी ढाँचे एवं पारिस्थितिकी तंत्र संबंधी कमियाँ:** स्टार्टअप को सहायता प्रदान करने वाला बुनियादी ढाँचा मुख्यतः महानगरों में केंद्रित है, जिससे टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्टार्टअप के विकास की संभावनाएँ सीमित हो जाती हैं।
- **कमजोर नवाचार एवं अनुसंधान और विकास संस्कृति:** निजी क्षेत्र द्वारा अनुसंधान एवं विकास (R&D) में कम निवेश, उद्योग एवं शिक्षा जगत के बीच कमजोर समन्वय तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) के प्रति अपर्याप्त जागरूकता नवाचार और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण को बाधित करती है।

सरकारी पहलें



- **क्षेत्र-विशिष्ट एवं मंत्रालय-आधारित पहलें:**

Scheme	Ministry	Objective
Atal Innovation Mission (AIM) (2016)	NITI Aayog	Foster nationwide innovation culture
GENESIS (Gen-Next Support for Innovative Startups) (2022)	Ministry of Electronics & IT (Meity)	Deep-tech startups in Tier II/III cities
Technology Incubation and Development of Entrepreneurs (TIDE) 2.0 (2019)	Ministry of Electronics & IT (Meity)	ICT startup incubation & scale-up
MeitY Startup Hub (MSH) (2016)	Ministry of Electronics & IT (Meity)	Integrate tech startup ecosystem
NIDHI (National Initiative for Developing and Harnessing Innovations) (2016)	Department of Science & Technology (DST)	Support S&T startups from idea to market
Startup Village Entrepreneurship Programme (SVEP) (2015)	Ministry of Rural Development (DAY- NRLM)	Promote rural entrepreneurship
ASPIRE (Scheme for Promotion of Innovation, Rural Industries and Entrepreneurship) (2015)	Ministry of MSME	Strengthen rural enterprise incubators
Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) (2008)	Ministry of MSME (KVIC)	Subsidised credit for self-employment

- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र :** AI स्टार्टअप और अनुसंधान को समर्थन प्रदान करने के लिए देशभर में समर्पित कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रों एवं नवाचार केंद्रों की स्थापना करना।
- **भारत का डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI):** यह डिजिटल परिवर्तन को गति देने के लिए सार्वजनिक वित्तपोषण और निजी क्षेत्र के नवाचार को एकीकृत करता है।

निष्कर्ष

- विगत एक दशक में भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनकर उभरा है।
- विभिन्न हितधारकों के बीच इस गतिशील सहयोग ने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ किया है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिली है तथा नवाचारकर्ताओं की अगली पीढ़ी को सशक्त बनाने में सहायता मिली है।

स्रोत: PIB

भारत में विमुद्रीकरण के 10 वर्ष

संदर्भ

- विमुद्रीकरण के दस वर्ष बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आँकड़े दर्शाते हैं कि इस कदम का प्रचलन में उपस्थित नकदी को कम करने तथा जाली नोटों का पता लगाने पर सीमित प्रभाव पड़ा है।

पृष्ठभूमि

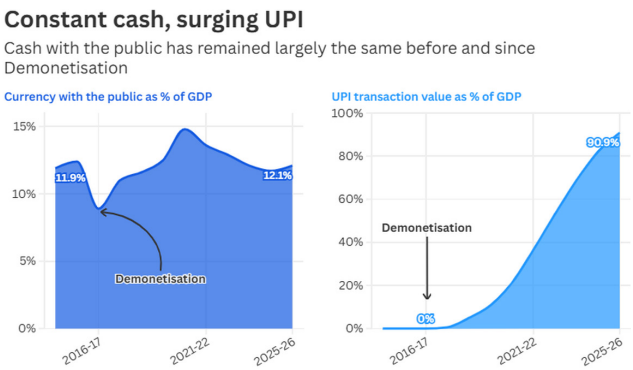
- **घोषणा:** सरकार ने 8 नवंबर, 2016 को घोषणा की थी कि ₹500 और ₹1,000 के नोट वैध मुद्रा नहीं रहेंगे।
- **प्रभाव :** इस कदम के परिणामस्वरूप प्रचलन में मौजूद कुल नकदी के मूल्य का लगभग 86% वापस ले लिया गया था।
- **उद्देश्य :**
 - काले धन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना।
 - जाली मुद्रा का उन्मूलन करना।
 - आतंकवादी वित्तपोषण और हवाला लेन-देन को बाधित करना।
 - डिजिटल भुगतान तथा कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।
 - अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण को प्रोत्साहित करना।

भारत में विमुद्रीकरण के पूर्व के उदाहरण

- **विमुद्रीकरण, 1946:** द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय सरकार ने उच्च मूल्यवर्ग के ₹500, ₹1,000 और ₹10,000 के नोटों की वैध मुद्रा की स्थिति समाप्त कर दी थी।
 - यह कार्रवाई उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोट अध्यादेश, 1946 के माध्यम से की गई थी।
- **विमुद्रीकरण, 1978:** सरकार ने ₹1,000, ₹5,000 और ₹10,000 के नोटों को प्रचलन से वापस ले लिया था।
 - इसे उच्च मूल्यवर्ग के बैंक नोट (विमुद्रीकरण) अधिनियम, 1978 के माध्यम से लागू किया गया था।
 - यह वांचू समिति (प्रत्यक्ष कर जाँच समिति) की सिफारिशों के अनुरूप किया गया था। इस समिति ने काले धन और कर अपवंचन से संबंधित मामलों की जाँच की थी।

दस वर्षों के बाद प्रमुख निष्कर्ष

- **नकदी के प्रचलन में सीमित कमी :** सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के अनुपात में जनता के पास उपलब्ध मुद्रा का स्तर लगभग अपरिवर्तित बना हुआ है।
 - विमुद्रीकरण से पूर्व के वित्त वर्ष 2015-16 में GDP के अनुपात में जनता के पास उपलब्ध मुद्रा 11.9% थी, जो 31 मार्च, 2026 तक मामूली रूप से बढ़कर 12.1% हो गई।
- GDP के अनुपात में UPI लेन-देन का मूल्य वित्त वर्ष 2016-17 में शून्य से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 91% हो गया है।



Source: RBI and NPCI • Note: GDP is taken as nominal GDP based on the new series with base year 2022-23 and backwards estimated for previous years.

- **जाली मुद्रा पर अंकुश :** सभी मूल्यवर्गों के नोटों में प्रचलन में उपस्थित प्रति एक करोड़ नोटों पर पकड़े गए जाली नोटों की संख्या वित्त वर्ष 2015-16 में 70.1 से घटकर वित्त वर्ष 2025-26 में 13.4 रह गई।

- हालाँकि, नई श्रृंखला के ₹500 के जाली नोटों का पता लगने की संख्या वित्त वर्ष 2016-17 में प्रति एक करोड़ नोटों पर 0.3 से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 20.1 हो गई।
- वर्ष 2023 में RBI द्वारा ₹2,000 के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद उनके जाली नोटों का पता लगने की संख्या में भी वृद्धि हुई।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

- **विवेक नारायण शर्मा बनाम भारत संघ, 2023 :** सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने वर्ष 2016 के विमुद्रीकरण संबंधी निर्णय की वैधता की समीक्षा की।
- सर्वोच्च न्यायालय ने विमुद्रीकरण की प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।
- न्यायालय ने माना कि केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 26(2) के अंतर्गत RBI के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है।

आगे की राह

- **वित्तीय संस्थाओं के बीच समन्वय में सुधार:** संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की पहचान करने तथा धन शोधन पर अंकुश लगाने के लिए RBI, वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (FIU-IND) और प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- **काले धन के स्रोतों को लक्षित करना :** मुख्य रूप से मुद्रा की निकासी पर निर्भर रहने के बजाय बेनामी संपत्तियों, शेल कंपनियों, कर चोरी और अघोषित परिसंपत्तियों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
- **कर अनुपालन में सुधार :** अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को कम करने के लिए कर प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाना चाहिए, सूचना साझा करने की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना चाहिए तथा स्वैच्छिक कर अनुपालन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

स्रोत: TH

संक्षिप्त समाचार

सिद्दी समुदाय

संदर्भ

- खुशबू रजाकभाई दरजादा ने डकार में आयोजित युवा ओलंपिक में बालिका वर्ग की 63 किलोग्राम जूडो स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही वह पदक जीतने वाली प्रथम सिद्दी खिलाड़ी तथा यह उपलब्धि प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बनीं।

सिद्दी समुदाय कौन हैं?

- सिद्दी अफ्रीकी मूल का एक जातीय समुदाय है, जिसके पूर्वज कई शताब्दियों के दौरान पूर्वी अफ्रीका से भारत आए थे।
 - इन्हें लोकप्रिय रूप से 'सिद्दी बादशाह' के नाम से भी जाना जाता है।
- **भारत में प्रवास :** भारत में सिद्दियों के प्रथम आगमन का समय निर्धारित करने वाला कोई निश्चित ऐतिहासिक अभिलेख उपलब्ध नहीं है।
 - ऐतिहासिक रूप से सिद्दी समुदाय अपनी अफ्रीकी वंशावली का संबंध 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत लाए गए दासों से जोड़ता है।
 - सामुदायिक परंपराओं के अनुसार, जूनागढ़ के नवाबों ने अफ्रीकी परिवारों को गुजरात में अंगरक्षक, बलशाली सेवक तथा बंदी शेरों की देखभाल करने वाले कर्मचारियों के रूप में कार्य करने के लिए बुलाया था।
 - यह भी माना जाता है कि मध्यकालीन अवधि में मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के शासकों एवं आक्रमणकारियों द्वारा स्थल मार्गों से सिद्दियों को भारत लाया गया था।
- **वितरण:** यह समुदाय मुख्यतः गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा तथा दमन और दीव केंद्रशासित प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाया जाता है।
 - गिर राष्ट्रीय उद्यान के निकट स्थित जांबुर गाँव को यहाँ सिद्दी समुदाय की बड़ी जनसंख्या होने के कारण लोकप्रिय रूप से 'मिनी अफ्रीका' कहा जाता है।

संस्कृति एवं धर्म

- **धर्म :** सिद्दी समुदाय ने व्यापक रूप से अपने-अपने क्षेत्रों की भाषाओं और सांस्कृतिक परंपराओं को अपनाया है।
 - गुजरात के सिद्दी मुख्यतः इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, जिस पर सूफी परंपराओं का गहरा प्रभाव है।
- सिद्दी समुदाय 15वीं-16वीं शताब्दी के अफ्रीकी मूल के मुस्लिम संत बाबा गोर के प्रति गहरी श्रद्धा रखता है।
- **धमाल नृत्य:** धमाल सिद्दी समुदाय का पारंपरिक लोकनृत्य है, जिसकी उत्पत्ति अफ्रीका में मानी जाती है।
 - यह नृत्य लगभग 8-10 नर्तकों के समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तथा बाबा गोर को समर्पित होता है।

संवैधानिक एवं कानूनी स्थिति

- वर्ष 1956 में केंद्र सरकार ने गुजरात के निर्दिष्ट क्षेत्रों में सिद्दी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) के रूप में मान्यता प्रदान

की। सौराष्ट्र में रहने वाले सिद्दियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है, जबकि इसके बाहर रहने वाले सिद्दी सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों (SEBC) की सूची में शामिल हैं।

- वर्ष 1982 में भारत सरकार ने सिद्दी समुदाय को आदिम जनजातीय समूहों में शामिल किया। बाद में इस श्रेणी का नाम बदलकर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह कर दिया गया।

स्रोत: IE

रानीवास टीला

संदर्भ

- भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) ने बिहार स्थित रानीवास टीले को राष्ट्रीय महत्त्व का स्मारक घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की है।

रानीवास टीले के बारे में

- **अवस्थिति:** यह बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है तथा केसरिया बौद्ध स्तूप के उत्तर-पूर्व में अवस्थित है।
- **ऐतिहासिक संबंध :** यह एक प्राचीन बौद्ध प्रतिष्ठान है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह एक विहार (बौद्ध मठ) अथवा मंदिर-मठ रहा होगा।
 - यह स्थल लगभग 1.63 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है।
- **पुरातात्त्विक महत्त्व :** भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस टीले का दौरा किया था तथा यहाँ उत्खनन कार्य कराया था।
 - उन्होंने यहाँ एक प्राचीन बौद्ध प्रतिष्ठान के अवशेषों की जानकारी दी थी, जिनमें एक छोटा मंदिर तथा बुद्ध की विशाल प्रतिमा शामिल थी।

क्या आप जानते हैं?

- भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) भारत की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्त्विक अनुसंधान, सुरक्षा, संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उत्तरदायी प्रमुख सरकारी एजेंसी है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1861 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी।

स्रोत: THE PRINT

भारत और सऊदी अरब द्वारा वर्ष 2027 के लिए द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर

संदर्भ

- भारत और सऊदी अरब ने वर्ष 2027 के लिए द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

परिचय

- दोनों देशों के मंत्रियों ने हज-2027 की तैयारियों की समीक्षा की तथा द्विपक्षीय समन्वय और लॉजिस्टिक सहायता को सुदृढ़ करने के उपायों पर चर्चा की।
- इस समझौते के अंतर्गत 1,75,025 भारतीय नागरिकों को वार्षिक हज यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी।
- सऊदी अरब प्रत्येक वर्ष विभिन्न देशों के लिए हज यात्रियों की वार्षिक संख्या निर्धारित करता है, ताकि मक्का आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके। इसका प्रमुख कारण पवित्र स्थलों पर स्थान एवं सुविधाओं की सीमित उपलब्धता है।

हज

- इस्लाम धर्म में हज सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का की तीर्थयात्रा है, जिसे प्रत्येक वयस्क मुस्लिम को अपने जीवनकाल में कम-से-कम एक बार करना अनिवार्य माना जाता है।
- हज इस्लाम के पाँच मूलभूत धार्मिक कर्तव्यों एवं आचरणों में से पाँचवाँ कर्तव्य है, जिन्हें इस्लाम के पाँच स्तंभ कहा जाता है।
- काबा सऊदी अरब के मक्का स्थित ग्रैंड मस्जिद के लगभग मध्य में स्थित एक पवित्र धार्मिक स्थल है। इसे विश्वभर के मुसलमानों द्वारा पृथ्वी का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है।
- हज की तीर्थयात्रा की धार्मिक प्रक्रिया इस्लामी कैलेंडर के अंतिम महीने ज़िलहिज्जा की 7वीं तारीख को प्रारंभ होती है तथा 12वीं तारीख को समाप्त होती है।
- प्रत्येक वर्ष विश्वभर से लाखों मुस्लिम श्रद्धालु हज करने के लिए मक्का की यात्रा करते हैं।

स्रोत: AIR

मुहूर्त ट्रेडिंग

संदर्भ

- भारतीय शेयर बाजार वर्ष 2026 के मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र का समापन गिरावट के साथ हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी ने वर्ष 2017 के बाद प्रथम बार दिवाली के अवसर पर नकारात्मक स्तर पर कारोबार समाप्त किया। इसके साथ ही संवत् 2083 का प्रारंभ हुआ।

मुहूर्त ट्रेडिंग क्या है?

- मुहूर्त ट्रेडिंग एक विशेष एवं सीमित अवधि का कारोबारी सत्र है, जिसका आयोजन राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) द्वारा दिवाली के अवसर पर किया जाता है। यह लक्ष्मी पूजा के साथ संपन्न होता है।

- निवेशक इस अवसर को शुभ मानते हुए प्रायः प्रतीकात्मक निवेश करते हैं। यह सत्र विक्रम संवत् अथवा हिंदू वित्तीय वर्ष के प्रारंभ का भी प्रतीक है।
- सामान्य कारोबारी सत्र में शेयर बाजार सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित होते हैं, जबकि मुहूर्त ट्रेडिंग सीमित अवधि के लिए आयोजित की जाती है।
- वर्ष 2026 में NSE और BSE पर इस विशेष कारोबारी सत्र का सामान्य ट्रेडिंग समय दोपहर 2:20 बजे से 3:30 बजे तक निर्धारित था।

स्रोत: IE

'फिजिकल AI'

समाचारों में

- अबू धाबी की सरकारी स्वामित्व वाली तेल कंपनी ने तेल परिचालन में दक्षता बढ़ाने तथा इंजीनियरिंग संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए G42 और OpenAI के साथ साझेदारी की है।
 - यह समझौता 'फिजिकल AI' की उभरती प्रवृत्ति को दर्शाता है, जिसमें AI केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म तक सीमित रहने के बजाय वास्तविक परिवेश के साथ अंतःक्रिया करता है तथा उसमें कार्य करता है।

फिजिकल AI क्या है?

- फिजिकल AI से तात्पर्य ऐसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक से है, जो रोबोट, कैमरा-बॉट और स्वचालित चालक रहित कारों जैसी स्वायत्त प्रणालियों को वास्तविक परिवेश में जटिल गतिविधियों को समझने, परिस्थितियों का आकलन करने तथा उन्हें निष्पादित करने में सक्षम बनाती है। अर्थात् ऐसी AI प्रणालियाँ जो भौतिक परिवेश में कार्य करती हैं।
 - इसमें AI मॉडल को सेंसर, एक्चुएटर्स तथा अन्य नियंत्रण प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जाता है, जिससे ये मॉडल वास्तविक दुनिया के परिवेश में कार्य कर सकते हैं।
- डिजिटल AI (जैसे चैटबॉट और इमेज जनरेटर) के विपरीत, फिजिकल AI भौतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है तथा केवल पूर्व-निर्धारित निर्देशों का पालन करने के बजाय स्वायत्त रूप से कार्य करता है।
- फिजिकल AI में जनरेटिव AI को सेंसर और नियंत्रण प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जाता है, ताकि मशीनें स्थानिक संबंधों को समझ सकें, वास्तविक परिवेश को पहचान सकें तथा स्वायत्त रूप से कार्य कर सकें।
- इसके प्रभावी उपयोग के लिए वास्तविक दुनिया से प्राप्त डेटा और प्रदर्शन में सुधार हेतु निरंतर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

महत्त्व

- मैकिन्से के अनुसार, रोबोटिक्स और फिजिकल AI वर्ष 2040 तक कम-से-कम 1 ट्रिलियन डॉलर का आर्थिक मूल्य उत्पन्न कर सकते हैं। विशेष रूप से विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।
- यह नियमित शारीरिक कार्यों के बजाय मानव की भूमिका को समस्या समाधान, निगरानी और पर्यवेक्षण जैसे कार्यों की ओर परिवर्तित कर सकता है।

स्रोत: IE

न्योमा वायुसेना अड्डा

समाचारों में

- भारतीय वायु सेना (IAF) ने पूर्वी लद्दाख स्थित न्योमा वायुसेना अड्डे पर रूस में निर्मित एक भारी परिवहन क्षमता वाले विमान की सफल लैंडिंग कराकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की। यह इस विमान की विश्वभर में अब तक की सर्वाधिक ऊँचाई पर की गई लैंडिंग है।

न्योमा वायुसेना अड्डा

- यह चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) से लगभग 25 किमी की दूरी पर स्थित है।
- यह समुद्र तल से 13,629 फीट की ऊँचाई पर स्थित है तथा नवंबर 2025 में इसे परिचालन के लिए सक्रिय किया गया था।
- यह लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और परिवहन विमानों के संचालन में सक्षम है।
- यह लद्दाख में भारतीय वायु सेना का चौथा ऐसा हवाई अड्डा है।
 - अन्य तीन हवाई अड्डे लेह, कारगिल और थोईस में स्थित हैं।
 - कारगिल हवाई पट्टी समुद्र तल से लगभग 10,500 फीट की ऊँचाई पर स्थित है।

महत्त्व

- न्योमा को विश्व के सर्वाधिक ऊँचाई पर स्थित हवाई क्षेत्र (Airfield) के रूप में विशेष पहचान प्राप्त है।

- इसकी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण लड़ाकू विमानों के इंजनों में आवश्यक तकनीकी अनुकूलन करना पड़ता है, ताकि वे इतनी अधिक ऊँचाई पर भी बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

- वर्ष 2020 में चीन के साथ सैन्य गतिरोध के दौरान न्योमा ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। C-130J विमानों की तैनाती ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के निकट सैनिकों, भारी हथियारों और सैन्य उपकरणों की तीव्र आवाजाही को संभव बनाया था।

अन्य संबंधित घटनाक्रम

- रक्षा मंत्रालय परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के निकट स्थित लगभग सभी हवाई क्षेत्रों तथा अग्रिम लैंडिंग ग्राउंड के बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- मंत्रालय लद्दाख क्षेत्र में दौलत बेग ओल्डी अग्रिम लैंडिंग ग्राउंड के बुनियादी ढाँचे का भी विस्तार कर रहा है।
 - दौलत बेग ओल्डी ALG वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के निकट समुद्र तल से लगभग 16,700 फीट की ऊँचाई पर स्थित है तथा इसे विश्व के सर्वाधिक ऊँचाई पर स्थित हवाई क्षेत्रों में से एक माना जाता है।

स्रोत: TH

वर्ष 2026 अब तक के दर्ज चार सबसे उष्ण वर्षों में से एक होगा: WMO

संदर्भ

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की 'स्टेट ऑफ द क्लाइमेट अपडेट 2026' रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2026 अब तक के दर्ज चार सबसे उष्ण वर्षों में से एक होगा।

प्रमुख निष्कर्ष

- **वैश्विक तापमान:** जनवरी-सितंबर 2026 के दौरान वैश्विक औसत तापमान पूर्व-औद्योगिक काल की तुलना में 1.47 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया।
 - प्रचलित अल नीनो के तापवर्धक प्रभाव के कारण वर्ष 2026 के अंत तक इस तापमान में और वृद्धि होने की संभावना है।
- **अल नीनो :** यह एक प्राकृतिक जलवायु परिघटना है, जो तब उत्पन्न होती है जब प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों का तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है।
 - इसके परिणामस्वरूप महासागर से अतिरिक्त ऊष्मा वायुमंडल में मुक्त होती है तथा विश्वभर के मौसम प्रतिरूप प्रभावित होते हैं।
- **ग्रीनहाउस गैसें :** रिपोर्ट के अनुसार, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता वर्ष 1750 में लगभग 278 पार्ट्स पर मिलियन (ppm) से बढ़कर वर्ष 2025 में लगभग 426.8 ppm हो गई है। इस प्रकार इसमें लगभग 53% की वृद्धि हुई है।
 - वैश्विक औसत मीथेन सांद्रता वर्ष 1750 में 729 पार्ट्स पर बिलियन (ppb) थी, जो वर्ष 2025 में 167% बढ़कर 1,948 ppb हो गई।
- **समुद्री बर्फ :** वर्ष 2026 में अंटार्कटिका की समुद्री बर्फ का वार्षिक अधिकतम विस्तार अब तक के अभिलेखों में तीसरा सबसे कम रहा, जबकि आर्कटिक में इसका अधिकतम विस्तार सबसे कम अथवा दूसरा सबसे कम दर्ज किया गया।
 - वर्ष 2025 में ग्लेशियरों ने 400 गीगाटन से अधिक बर्फ खो दी, जो समुद्र के जलस्तर में लगभग 1 मिमी की वृद्धि के बराबर है।
 - **हिमनदों के पिघलने के प्रभाव:** हिमनदों के पिघलने से स्थानीय एवं निचले क्षेत्रों में भू-जोखिम, पारिस्थितिकी, क्षेत्रीय जल संसाधनों और जल गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है।
 - इसके अतिरिक्त वैश्विक ऊर्जा संतुलन तथा समुद्र के जलस्तर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है।
- **चरम मौसमी घटनाएँ :** चरम मौसमी घटनाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के जीवन और आजीविका को प्रभावित किया है।
 - इन घटनाओं ने खाद्य सुरक्षा को कमजोर किया, निर्धनता को बढ़ाया तथा विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के विस्थापन में योगदान दिया।

स्रोत: TH

बुकर पुरस्कार 2026

संदर्भ

- ब्रिटेन के लेखक एम. जॉन हैरिसन ने अपने उपन्यास 'द एंड ऑफ एवरीथिंग' के लिए वर्ष 2026 का बुकर पुरस्कार जीता।
 - यह पुस्तक विनाश के बाद के ब्रिटेन के एक अंधकारपूर्ण व्यंग्यात्मक चित्रण के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से संबंधित चिंताओं को प्रतिबिंबित करती है।

बुकर पुरस्कार

- यह साहित्यिक पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी भाषा में लिखे गए तथा यूनाइटेड किंगडम (UK) और आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को प्रदान किया जाता है।
- इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1969 में ब्रिटेन में की गई थी। प्रारंभ में यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों के लेखकों को दिया जाता था। हालाँकि, वर्तमान में इसका दायरा वैश्विक हो चुका है तथा किसी भी देश के लेखक इसके लिए पात्र हैं।
- इस पुरस्कार के अंतर्गत 50,000 पाउंड (लगभग 67,000 अमेरिकी डॉलर) की नकद राशि प्रदान की जाती है।
- **पूर्व भारतीय बुकर पुरस्कार विजेता:**
- अरुंधति रॉय – द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स।
- किरण देसाई – द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस।
- अरविंद अडिगा – द व्हाइट टाइगर।

अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार

- इसे पहले मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से जाना जाता था।
- यह पुरस्कार प्रतिवर्ष ऐसी साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है, जो मूल रूप से अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में लिखी गई हो तथा जिसका अंग्रेजी में अनुवाद करके यूनाइटेड किंगडम और/या आयरलैंड में प्रकाशित किया गया हो।
- इसके अंतर्गत मिलने वाली पुरस्कार राशि लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से बाँटी जाती है।
- वर्ष 2026 में यांग श्वांग-ज़ी की पुस्तक ताइवान ट्रैवलॉग को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका अंग्रेजी अनुवाद लिन किंग ने किया है।
- यह मंदारिन चीनी भाषा से अनूदित होकर यह सम्मान प्राप्त करने वाला प्रथम उपन्यास है।

स्रोत: TH

NEXT IAS हिन्दी